

न्यायालय तहसीलदार/न्याय तहसीलदार, बनेड़ा  
जिला-भीलवाड़ा

प्रकरण संख्या 38119/20 ना.क.

अनवान

पटवारी हत्का बनेड़ा पटवारी हत्का बनेड़ा, जिला-भीलवाड़ा  
बनाम श्री साधु शर्मा जाति कुच्छभाण  
पिता श्री वल्लभाय शर्मा  
निवासी बनेड़ा पटवारी हत्का बनेड़ा, जिला-भीलवाड़ा  
(प्रार्थी) (अप्रार्थी)

कार्यवाही अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956  
निर्णय

दिनांक 25/11/19

पत्रावली पेश हुई। पटवारी हत्का एवं अप्रार्थी उपस्थित है। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं:-  
श्री साधु शर्मा पटवारी हत्का बनेड़ा तहसील बनेड़ा की  
द्वितीय/चरागाह आराजी नम्बर 325 में से रकबा 2.22 बीघा पर  
अप्रार्थी द्वारा फसल रबी/खरीफ सम्बन्ध 2026 के दौरान अतिक्रमण कर फसल जिस  
पटवारी हत्का काशत/अवैध कब्जा/पटवारी हत्का कर लेने पर पटवारी  
हत्का ने राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 (3) का नोटिस जारी किया जाकर तलब किया  
गया। नोटिस विधिवत तामिल होकर शामिल पत्रावली किया गया है।

वक्त तारीख पेशी पर अप्रार्थी ने उपस्थित होकर रिपोर्ट पटवारी हत्का के अनुसार अपना अतिक्रमण  
होना तथा जिस पटवारी हत्का काशत स्वीकार किया तथा नियमन किये जाने बाबत कोई  
साक्ष्य/सबूत प्रस्तुत नहीं किये/अप्रार्थी बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहा है अतः मामले में एक तरफा  
कार्यवाही अमल में लायी जाती है।

चूंकि अप्रार्थी ने राजकीय बिलानाम/चरागाह भूमि पर अतिक्रमण कर फसल काशत की है अतः प्रार्थी  
को अतिक्रमण करार देते हुये मौके से बेदखल किये जाने एवं फसल जब्त सरकार की जाकर निलाम किये जाने  
का आदेश दिया जाता है तथा अतिक्रमण करने के फलस्वरूप उक्त भूमि का वार्षिक लगान 0.24 X  
50 का गुणा 5.07 रुपये के अर्थ दण्ड ये दण्डित किया जाता है।  
आदेश खुले न्यायालय से सुनाया जाता है।

पालनार्थ पटवारी हत्का को लिखा जावे। राजस्व लेखाकार के यहां पत्रावली में मांग कायम कराई  
जावे। बाद तामिल तकमील पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

तहसीलदार बनेड़ा  
जिला-भीलवाड़ा (राज.)